दिनांक : 09.10.2017

सेवा में,

15200
9/10/17

1. रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय
दिल्ली

2. रजिस्ट्रार, माननीय पंजाब और हरियाणा हाय कोर्ट
चंडीगढ़

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) [redacted]
लुधियाना

4. **Superintendent to District and Sessions Judge,**
Ludhiana

विषय: F.I.R. No. 0343/2017 दि. 19.08.2017 से संबंधित मामले व सेशन कोर्ट में पुलिस द्वारा अपहरण करने के मामले में हुई कार्यवाही के कोई भी कागजात न दिये जाने की शिकायत व कागजात दिलवाये जाने बावत साथ ही दिनांक 20.08.2017 को अदालत में हुई कार्यवाही को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु|

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पति स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना -141007 Mob. 79735-71454) हूँ मेरे Whistle Blower बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद का दिनांक 19.08.2017 को पुलिस द्वारा सुबह 5.30am से 6:00am बजे के बीच में अपहरण कर लिया गया था जिसका रात 11:00pm बजे तक कोई पता नहीं चला कि क्यों व किसलिये अपहरण किया गया है?

हमारी शिकायत उसी दिन 19 तारीख को लगभग 2.30pm बजे के आसपास सेशन कोर्ट में दी गई थी|

दूसरे दिन दिनांक 20.08.2017 को जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने मेरे Whistle Blower बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को पेश नहीं किया गया तब मेरे द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता को शिकायत की गई जिसके बाद मुकेश व लकी को पुलिस थाना बस्ती जोधेवाल के द्वारा पेश किया गया जहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा मुझसे पूछा गया था कि, मुकेश व लकी को कितने बजे उठाया था तो मैंने बताया था कि दिनांक 19.08.2017 को सुबह 5:00am बजे से 5:30am बजे के बीच उठाया गया था| जब यही सवाल IO सुलक्खन सिंह से पूछा गया कि कितने बजे उठाया था तो IO सुलक्खन सिंह ने मेरे सामने ही कहा था कि 6.30am बजे उठाया था, फिर IO सुलक्खन सिंह से जब मजिस्ट्रेट द्वारा पूछा गया कि किसी को intimation दिया था तो कहा गया कि हाँ 6.00am बजे के

Scanned by CamScanner

intimation दिया था जब यह पूछा गया कि intimation किसको दिया था ? तो IO सुलक्खन सिंह बता नहीं पाया|

कोर्ट में IO सुलक्खन सिंह बिना मैडिकल करवाये मेरे बेटे मुकेश व लकी को लेकर आया था साथ ही पुलिसवालों द्वारा मुकेश व लकी को बहुत मारा गया था जिसकी वजह से उनके पाँव सूजे हुये थे और वे चप्पल भी नहीं पहन सकते थे| इनकी शिकायत देने पर भी ली नहीं और ना ही इस दिन की कार्यवाही रिकॉर्ड पर ली गई है साथ ही F.I.R. No. 0343/2017 के मामले में दिनांक 20.08.2017 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता की अदालत में जो कार्यवाही की गई उसके कोई भी पेपर आज दो महीने होने जा रहे हैं मगर आपकी अदालत के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मुझे दिये नहीं जा रहे हैं बल्कि यहाँ से वहाँ भगाया जा रहा है| जिसकी वजह से मेरे Whistle Blower बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ीत लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद आज तक जेल में ही हैं| मुझे तुरंत F.I.R. No. 0343/2017 दि. 19.08.2017 से संबंधित सभी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाये जायें साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता की अदालत में जो भी कार्यवाही (IO व मुझसे पूछे गये सवाल / जवाब) हुई उसे रिकॉर्ड पर लिया जाये और पहले रिकॉर्ड पर ना लेने का कारण भी बताया जाये

धन्यवाद!

चन्द्रकला ठाकुर

*इंसाफ के इंतजार में,*

*Whistle Blower व आज के भगत सिंह की माँ*

चंद्रकला ठाकुर

Mob. 79735-71454

Scanned by CamScanner

RL HARTI.JODHEWAL <141007>
RL A RP[illegible]IN
Counter No:1,OP-Code:1
To:SUPDTT CENTRAL JAIL ,NEW CENTRAL JAIL
LUDHIANA, PIN:141008
From:CHANDRIKA A THAKUR , LDH
Wt:120grams,
Amt:47.00 ,10/10/2017 ,10:54
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

---

(Duplicate) RL HARTI.JODHEWAL <141007>
RL A RP[illegible]IN
Counter No:1,OP-Code:1
To:THE REGISTRAR,PB & HARYANA COURT
Chandigarh G.P.O., PIN:160017
From:CHANDRIKA A THAKUR , LDH
Wt:120grams,
Amt:47.00 ,10/10/2017 ,10:54
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

---

RL HARTI.JODHEWAL <141007>
RL A RP[illegible]IN
Counter No:1,OP-Code:1
To:THE REGISTRAR,SUPREME COURT OF INDIA
DELHI, PIN:110001
From:CHANDRIKA A THAKUR , LDH
Wt:120grams,
Amt:47.00 ,10/10/2017 ,10:59
<<Track on www.indiapost.gov.in>>